भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2207

जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025/21 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

पंजाब में डीएपी की कमी

2207. श्री मलविंदर सिंह कंगः

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा आवंटन के होते हुए भी पंजाब में डीएपी उर्वरक की वर्तमान कमी के मुख्य कारण क्या हैं;
(ख) केंद्र सरकार का उक्त आपूर्ति-मांग अंतर को किस प्रकार दूर करने का प्रस्ताव है;
(ग) सरकार द्वारा पंजाब राज्य में वर्तमान और आगामी फसली मौसम के दौरान बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डीएपी के घरेलू उत्पादन में वृद्धि और ससमय आयात सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार को पंजाब के किसानों की ओर से डीएपी उर्वरक की उपलब्धता, आपूर्ति में व्यवधान या कालाबाजारी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) इन समस्याओं के न्यूनीकरण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(च) क्या सरकार द्वारा डीएपी उर्वरक का पंजाब के किसानों तक बिचौलियों द्वारा अधिक शुल्क लिए बिना या जमाखोरी किए बिना अधिसूचित राजसहायता प्राप्त मूल्य पर पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): चल रहे रबी मौसम 2025-26 के दौरान पंजाब राज्य में डीएपी की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है। 01.04.2025 से 08.12.2025 तक राज्य में 4,55,000 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराया गया है, जबकि यथानुपातिक आवश्यकता 4,05,000 मीट्रिक टन की है। उक्त अवधि के दौरान डीएपी की बिक्री 2,98,000 मीट्रिक टन रही है और राज्य के पास 1,57,000 मीट्रिक टन का अंतिम स्टॉक है।

इसके अलावा, उर्वरक विभाग का अधिदेश राज्य स्तर पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तथापि, जिला स्तर पर राज्य के भीतर उर्वरकों का आकलन और वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

इसके अलावा, पंजाब राज्य सहित देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं -

(i) प्रत्येक फसल मौसम की शुरुआत से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

(ii) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आवंटित करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(iii) देश भर में सभी प्रमुख सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब-आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे आपूर्तियों को सुचारू बनाने के लिए समय पर मांग-पत्र भेजकर निर्माताओं और आयातकों के साथ समन्वय करें।

(v) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और उर्वरक विभाग द्वारा राज्य कृषि अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से नियमित साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरक भेजने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ग): सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है। एनबीएस योजना के तहत, पीएंडके उर्वरकों को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत कवर किया जाता है और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

इसके अलावा, घरेलू उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं-

(i) अनुरोधों के आधार पर, नई उत्पादन इकाइयों या मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को एनबीएस योजना के तहत मान्यता दी गई है/संज्ञान में लिया गया है।

(ii) एनबीएस नीति के तहत शामिल किए गए पीएंडके उर्वरकों की संख्या 2021 की 22 ग्रेड से बढ़ाकर 28 ग्रेड कर दी गई है।

(iii) मिट्टी को फॉस्फेट या 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने के लिए एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से निर्मित उर्वरक है, के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खरीफ-2022 से इस, पर मालभाड़ा सब्सिडी को मंजूरी दी गई है।

(घ) से (च): कालाबाजारी/जमाखोरी की समस्या का समाधान करने के लिए उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचित किया गया है। **आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों को कालाबाजारी/जमाखोरी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन कदाचारों के संबंध में उर्वरक विभाग स्तर पर प्राप्त होने वाली कोई भी शिकायत आवश्यक** वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाती है।

तदनुसार, पंजाब राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, इन कदाचारों में शामिल डीलरों/एजेंसियों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई के रूप में 04 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 03 प्राधिकार पत्र रद्द कर दिए गए हैं।

****